THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Government have seen press-reports in this connection.

(b) Government have already announced their decision to introduce the necessary legislation in parliament in the current session.

12.04 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

STRIKE BY NON-GAZETTED STAFF OF HIMACHAL PRADESH

SHRI HEM RAJ (Kangra) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

The situation arising out of the strike by the non-gazetted staff of Himachal Pradesh and the steps taken to meet their demands.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Pay scales of employees of Himachal Pradesh were previously based on the pattern of pay scales in Punjab. Similarly, pay scales in Manipur, Tripura and Pondicherry were patterned on the basis of scales in Assam, West Bengal and Tamil Nadu respectively.

It was noticed in 1968 that some States had started giving steep rise in their pay scales and in some cases these scales exceeded even the Central Pay scales for similar posts. This created difficulties for the Government of India, and it was decided that the policy of automatic linkage of pay scales with the neighbouring States may continue subject to the condition that any revision of pay scales of employees in the Union Territories inclusive of dearness pay and/or Dearness Allowance would not raise their emoluments beyond the level obtaining for similar categories under the Central Government. This decision was later on reviewed by the Government and it was decided to adopt Central pattern of pay and allowance for the employees of all the Union Territories and NEFA with effect from 6th March, 1970. An announcement of this decision was made in Parliament on 11th March, 1970.

The non-gazetted employees of Himachal Pradesh Government are, however, agitating for Punjab scales of pay. We have already stated earlier that the Government would sympathetically consider the cases of such employees who would be adversely affected by the present decision and give them an option to retain their existing scales of pay and allowances. Necessary steps are being taken to ensure that the employees do not suffer any reduction in their emoluments. Certain other suggestions made in this behalf by the Chief Minister, Himachal Pradesh are also under consideration of the Government.

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहाब ने जो स्टेटमेंट सभा-पटल पर रखा है, उसमें यह कहा गया है कि यूनियन टैरीटरीज के अपने अलग स्केल हैं । लेकिन अलग अलग यूनियन टेरीटरीज की जियोग्राफिकल पोजीशन अलग-अलग है और उनके कास्ट आफ लिविंग में भी बहुत ज्यादा फर्क है । सैकंड पे कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि किसी यूनियन टेरीटरी में वह पे स्केल होना चाहिये, जो कि उसकी कानटिगुअस स्टेट में हो । पिछले बाईस साल से ये स्केल दिये जा रहे थे । तो फिर उनमें कमी क्यों की गई ? क्या यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी यह सिफारिश की थी कि हिमाचल प्रदेश के एम्पलाईज को पंजाब स्केल दिये जायें ; अगर हाँ, तो क्या सरकार ने अपने फैसले का एलान करने से पहले हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से मश्वरा किया था ?

आज वहां पर हालत यह है कि जो फेडरेशन को असली चलाने वाले थे, जो

एम्पलाईज के नुमायंदे थे, चूंकि उनके साथ मंत्री महोदय ने मुलाकात नहीं की, इस लिए वहां आज फिर एजीटेशन जारी है, वहां पर एक हजार से ज्यादा मुलाजमीन गिरफ़्तार हो चुके हैं और "बन्द" की वजह से वहां के कोर्ट्स और दफ्तरों का काम, बिजली और पानी, बन्द पड़े हैं। इसलिए क्या मंत्री महोदय इस मामले पर दोबारा गौर करेंगे ?

मैं चार सवाल करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय सही तौर पर उनका जवाब देंगे। सरकार ने सारी जायंट एक्शन कमेटी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या सरकार उसको रिहा करके उससे बातचीत करेगी ? जैसा कि मैंने कहा है, हिमाचल प्रदेश के हालत मुख्तलिफ हैं। इसलिए क्या सरकार वहां के एम्पलाईज को पंजाब स्केल्ज देने पर दोबारा गौर करेगी ? पंजाब स्केल्ज के साथ जो काम्पेन्सेटरी एलाउन्स मिलता था, क्या वह भी उन लोगों को दिया जायेगा ? 1-2-68 से लेकर 5-3-70 तक के दरमियानी वक्फे में पंजाब स्केल्ज उनको आटोमेटिकली मिल चुके हैं। क्या उनको वे दिये जायेंगे ? वहां पर जो एन०जी० ओज० गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनको रिहा करने के आदेश जारी किये जायेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि चूंकि यूनियन टेरीटरीज की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, इस लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार के पे-स्केल्ज नहीं देने चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के पे-स्केल्ज इस बात पर सोच-विचार करके ही बनाए गए थे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भारतवर्ष भर में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियों में रह कर काम करते हैं और उन्हें यही पे-स्केल्ज दिये जाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में जो यूनियन टेरीटरीज हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण वहां के लिए अलग अलग पे-स्केल्ज बनाये जायें, मैं नहीं समझता कि इसकी कोई आवश्यता है।

जहां तक कि इन कर्मचारियों के नुमाइन्दों का सवाल है हम लोग इस बात के लिए राजी हैं और मुझे तो कभी याद नहीं आता कि जब हमने कहा हो कि हम बात नहीं करना चाहते। यदि वह अच्छे ढंग से और सद्भावना से हमसे बात करना चाहते हैं तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं।

श्री हेमराज : उनको रिहा करवा करके उनसे बातचीत करेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से अधिकतर लोग तो रिहा हो चुके हैं बेल पर। जेल में तो बहुत कम लोग हैं। जो लोग बाहर हैं और जो हमसे मिलना चाहते हैं उनसे हम बड़ी खुशी से मिलेंगे।

श्री हेमराज : ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग अब भी जेल में हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जो भी बाहर हैं और जो मिलना चाहते हैं उनसे मिलने के लिए हम तैयार हैं।

जहां तक कि पंजाब स्केल का सवाल है यह तो मांग बहुत दिनों से की जा रही है और इसके ऊपर विचार करने के बाद ही हमने अपना निर्णय किया था।

जहां तक रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट का सवाल है जो सेंट्रल स्केल आफ पे दिया गया है उसको रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट देना है या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग सोच विचार कर रहे हैं और इसके ऊपर बहुत जल्दी निर्णय ले लेंगे।

श्री एस. एम. जोशी (पूना) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का यह मामला बहुत ही गंभीर दिखाई देता है। आप जानते हैं कि इस सदन में इसके बारे में कई बार चर्चा हुई और जो मेरी जानकारी है, वह हो सकता है कि गलत हो, मुझे ऐसा लगता है कि इन कर्मचारियों के साथ ज

सुलूक हुआ वह अच्छा नहीं हुआ । जैसा कि अपने बयान में मंत्री महोदय ने बताया 6 मार्च 1970 को यह फैसला हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्केल्स उनको दिए जायं और पार्लियामेंट में 11 मार्च को एलान हुआ । उसी वक्त उन लोगों ने अपना आन्दोलन शुरू किया था और यह तय हुआ था कि 13 मार्च को और एक दिन की हड़ताल भी होगी । उसके बाद इन लोगो ने जब यह सोचा था कि यह लोग राजी नहीं हुए, वह तो पंजाब के स्केल चाहते थे, तब इन लोगों ने फैसला किया 25-26 मार्च को कि 25 मार्च से कुछ दिन के लिए वह छुट्टी पर जाएंगे । ऐसी हालत में वहां के जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने 24 मार्च को रणजीत सिंह वर्मा जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमेन थे उनके साथ बातचीत की और यह भी कहा बातचीत के दौरान कि हम आपकी दिल्ली में होम मिनिस्टर के साथ उस लेवेल पर मुलाकात करा देंगे । उसके बाद वह बार बार लिखते रहे कि कब जाएंगे, उन्होंने उनको कुछ उत्तर नहीं दिया । उसके बाद खत भी लिखा उसका जवाब नहीं दिया । और वह सीधे चले आए यहां । जब वह चले आए तो और दूसरे कोई नुमाइन्दे लेकर आए । ज्वाइंट एक्शन कमेटी को जवाब नहीं दिया । मगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों ने उनका पीछा किया और वह यहां आ गए तो डेपुटेशन जो चीफ मिनिस्टर ने चुना था उसकी मुलाकात तो हो गई विद्याचरण जी से और दूसरा जो था उनकी मुलाकात हो गई होम मिनिस्टर श्री वाई० बी० चव्हाण से । इस तरह का भेद-भाव उनके साथ किया गया । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गन्दी बात है । जब कोई एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी है और उनकी नुमाइन्दगी वह करते है तो उनके साथ वादा करना ऐसा कि हम तुम को दिल्ली ले जाएंगे उसके बाद उनको धोका देना, उनको ले नहीं जाना और उन्होंने पीछा भी किया तो अपना एक दूसरा ही डेपुटेशन ले कर मिलना आपस में फूट डालने के लिए, यह गन्दे तरीके जो अख्त्यार किए जाते हैं यह कहां तक सही है जब कि सोशलिज्म का नारा लगाते है ?

मेरी अपनी राय में, मैं समझता हूं कि बाकी सब बयान आपने दिया है, उसके अन्त में एक छोटा सा वाक्य दिया है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने कुछ सुझाव रखे हैं । मैं जानना चाहूंगा कि उनका सुझाव क्या है ? क्यों कि जब इन लोगों ने यह आन्दोलन शुरू किया तभी यह 11 मार्च को आपने फैसला किया, सब लोगों के लिए फैसला किया लेकिन जैसा कि माननीय मित्र हेमराज जी ने बताया उसमें पहले का तो नहीं किया । अब उसके ऊपर आप सोच रहे हैं और उसको लेकर ही उन्होंने हड़ताल की । तो हजारों की तादाद में उनको जेलखाने भेजा और अभी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग वहां जेल में हैं । मुझे ऐसा लगता है कि बात छोटी सी है, इसके लिए आपको इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था क्योंकि उनके साथ अगर बातचीत हो जाती, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ तो शायद यह नौबत नहीं आती । लेकिन यह हम लोगों ने काम नहीं किया । कभी कभी हुकूमत की तरफ से भी गलतियां हो जाती हैं तो उसको मान लेने में क्या है ? उसको मान लीजिए । हमारी तरफ से भी गलती होती है तो मैं भी मजदूरों से कहूंगा कि अपनी गलती मान लो । लेकिन यह सीधे सीधे गलती मुझे दिखती है सरकार की और इसकी वजह से उनको तकलीफ हुई । कल ही अखबारों में पढ़ा कि दूसरी भर्ती करने जा रहे हैं नये-आदमियों की और उनको गारन्टी दे रहे हैं कि तुमको परमानेंट करेंगे, तुमको रिलीव नहीं करेंगे । तो इस तरह और भी मामले को पेंचीदा करके खड़ा कर देंगे ।

ऐसी हालत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप सबको पहले रिहा करेंगे ? और दूसरी बात यह है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, उनके जो सही नेता

हैं रणजीत वर्मा उनको बुलाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे ? और चूंकि अब पे कमीशन बैठा हुआ है तो आपको उनके सामने भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए । जबकि बातचीत चल रही है दोनों पार्टियों के बीच कि पंजाब का स्केल उनको लागू हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्केल लागू हो और पंजाब के हालत और हिमाचल प्रदेश के हालत एक से हैं तो सेंट्रल स्केल का लागू करना कहां तक सही है ? यह मैं जानता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग वहां रहते है, उनको कुछ मिलता है, वही उनको आप दे रहे हैं । मगर पंजाब वालों ने एक अपना स्केल किया है तो उनको वह क्यों न दिया जाय ? यह उनकी जायज मांग है । तो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं यह कहूंगा कि सरकार फौरन फैसला करे कि बीच का जो एक गैप है वह उनको दिया जाय और पे कमीशन को यह मामला दिया जाय, वह इसका फैसला करे । तब तक उनकी रिहाई हो और रिहाई होने के बाद उनके ऊपर कोई मुकदमा न चले । हां अगर कोई वायलेंस किया हो तो वह सोच समझ सकते हैं । लेकिन उन्होंने जो किया उसके लिए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए । तो क्या इतनी गारन्टी सरकार देने को तैयार है कि बकाया जो है वह हम देने को तैयार हैं और सब लोगों की रिहाई करेंगे, ज्वाइंट कमेटी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे और पे कमीशन को इसे सुपुर्द करेंगे ? हम अपना केस रखें वह अपना केस रखें और उसके उपर जो निर्णय वह दें वह आप मानें, इसके लिए अगर आप तैयार हो तो मामला तय हो सकता है तो क्या इसके बारे में आप जवाब देंगे ? और एकदम स्पष्ट जवाब चाहिए, गोलमोल नहीं चाहिए ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जितना स्पष्ट प्रश्न है उतना स्पष्ट जवाब भी हम देंगे ।

मैं नहीं समझता कि कौनसी गन्दी बातों के ऊपर माननीय सदस्य ने यह बात कहीं उनका एक प्रतिनिधि मंडल आया जो मुझ से मिलना चाहता था । मैंने उनको तत्काल ही टाइम दिया और उनसे मिल कर बात की । दूसरा प्रतिनिधि मंडल आया, उन्होंने गृह मंत्री से समय मांगा । उन्होंने उनसे बात कर ली । इसमें गन्दी बात कौनसी हुई.. (**व्यवधान**).. अब मैं यह नहीं जानता कि चीफ मिनिस्टर ने क्या वादा किया था और क्या वादा तोड़ा ? हमसे उनका जब भी कोई शिष्ट मंडल मिलने आया हमने कभी नाहीं नहीं की, कभी उनसे मिलने में आनाकानी नहीं की पूरी तरह से उनसे बातचीत की । अपना दृष्टिकोण उनको समझाया और उनकी बातें समझने का प्रयत्न किया और ऐसा हम अभी भी करने को तैयार हैं । अभी भी कोई हम से मिलने आए तो हम उनसे मिलने को पूर्ण रूप से तैयार हैं । अभी कल ही श्री प्रेम चंद जी वर्मा जो हमारे सदन के सदस्य हैं उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ लोग आकर मिलना चाहते हैं । तो मैंने कहा कि उनको बुला लीजिए, दूर से आ रहे हैं, उनसे मिलकर मैं बातचीत कर लूंगा । हमको कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है उनसे बातचीत करने में । केवल सवाल यह है कि इस बात को सद्भावना: पूर्वक सोच समझ कर हम यदि हल करने का यत्न करेंगे तो हल कर पाएंगे और यदि हम चाहें कि जो हमने कहा है उसीको मंजूर किया जाय, हम दूसरी बात सोचने को तैयार नहीं हैं, यदि ऐसी मनोवृत्ति होगी तब तो कोई हल ढूंढना मुश्किल होगा । हम लोगों की मनोवृत्ति ऐसी नहीं है। हम लोग तो यह कह रहे हैं कि हम हर एक बात को सुनने को तैयार है, हर एक बात को सोच समझ कर तय करने को तैयार हैं । इसलिए जो प्रतिनिधिगण आएंगे वह यह सोच कर आएं कि हमें शांतिपूर्वक सोच कर काम करना हैं और समस्या का हल निकालना है तो इसमें कोई शक नहीं कि समझौता हो सकता है।

जहां तक मुख्य मंत्री के सुझावों का सवाल है, मुख्य मंत्री ने दो सुझाव रखे हैं मुख्य रूप

से वह कहते है कि सेंट्रल स्केल आप दे रहे हैं, वह ठीक है, दीजिये । लेकिन इसको मार्च, 1970 के बदले 1 फरवरी, 1968 से दीजिए । उनका यह सुझाव है और इसके ऊपर हम बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और यदि संभव हुआ और इसको हम मंजूर कर सके तो हमें बड़ी खुशी होगी । इसके ऊपर अभी हम विचार कर रहे हैं और कुछ कह नहीं सकते कि मंजूर होगा कि नहीं पर हमारी पूरी सद्भावना इस सुझाव के प्रति है ।

दूसरा सुझाव यह था कि इन्हें सेंट्रल स्केल के अनुसार पे दी जाय, लेकिन एलाउन्सेज हिमाचल प्रदेश के दिये जांय । इसको मंजूर करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से केन्द्रीय कर्मचारी भी काम करते हैं, हम उन्हें केन्द्रीय सरकार के पे-स्केल और एलाउन्सेज देते हैं । यदि हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के पे-स्केल दें और हिमाचल प्रदेश के एलाउन्सेज दें तो जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, वे भी कहेंगे कि हमको भी उतना ही एलाउन्स दो, फिर यह सवाल केवल हिमाचल तक ही सीमित नहीं रहेगा । भारतवर्ष के विभिन्न इलाके हैं, बहुत से पहाड़ी इलाके भी हैं जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी काम करते हैं, चारों तरफ इसको बढ़ाना होगा और फिर इसका कोई अन्त नहीं होगा ।

मैं आपके सामने अपनी कठिनाई पेश कर रहा हूं, यह उद्देश्य नहीं है कि हम किसी तरह से कोई कंजूसी करना चाहते हैं, लेकिन हमको अपनी स्थिति को देख कर, अपने रिसोर्सिज को देख कर बहुत सोच विचार करके इसका निर्णय करना होगा । हम यह चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार का जो वेतन स्तर है, वह दिया जाय और यहां पर जो एलाउन्सेज का स्तर है, वह दिया जाये । इसमें हमने यह भी कह दिया है कि यदि किसी का पे-पैकेट केन्द्रीय सरकार के वेतन-मान और उनके एलाउन्सेज को मिला कर ज्यादा है तो उसको कम नहीं किया जायगा वह उसी स्तर पर स्थित रहेगा, उसको कम नहीं करेंगे ।

मैं समझता हूं कि हमने इस सम्बन्ध में जो सोच विचार किया है और जो दृष्टिकोण इस मामले में रखा है तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जो सुझाव दिये हैं, उसमें ज्यादा अन्तर नहीं है जो सुझाव दिये हैं वे रचनात्मक सुझाव हैं और उन्हीं के आधार पर समझौता हो सकता है ।

जहां तक पे-कमीशन का सवाल है पे-कमीशन के सम्बन्ध में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन पे-कमीशन इस सवाल पर सोच-विचार करेगा और जो उनके निर्णय होंगे और सिफारिशें होंगी उन पर उदारतापूर्वक विचार करेंगे ।

श्री राम कृष्ण गुप्त (हिसार) : स्टेट में जो स्ट्राइक चल रही है कितने एम्पलाइज उससे इफेक्टेड हैं और उनके मसलों को हल करने के लिये क्या कोशिश की जा रही है और कब तक यह मसला हल हो जायगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इसके लिये लगातार कोशिश जारी है और मैं चाहता हूं कि यह मामला बहुत जल्द हल हो जाय ।

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya): The question of the revision of pay-scales of non-gazetted officers of H. P. is hanging fire since the last three years. It is sheer treachery on the part of this Government that they have slept over this question for the last three year. Even the Chief Minister of H. P. has not a kind word to say about the attitude of the Home Ministry with reference to this question. The statement itself contains certain inherent contradictions. The minister says, they have taken the decision on 6th March 1970, when the scales have been raised to the all-India pattern. In the next para he says "As stated earlier, Government would sympathatically consider cases of such employees who would be adversely affected". When you gave that award on

11th March, 1970 if you felt that you were helping the non-gazetted officers in H. P., there was absolutely no question of your giving sympathetic consideration to some of those employees who have been adversely affected by the award.

In this connection, I would like to know how many persons in the NGO cadre in Himachal Pradesh are adversely affected by the decision of 11th] March, 1970. Secondly, would the government release unconditionally all those people who have been arrested during the last two or three months and start negotiations and discussions with a clean slate with magnanimity? In this case, government can afford to be large-hearted. Simply because their majority in Parliamant is reduced that does not mean that they could not afford to be large-hearted. The Minister should give a categorical assurance in this House that all those who have been arrested would be released unconditionally and all those prosecutions that have been launched against the NGOs would be withdrawn, and that they would start negotiations with the government servants to arrive at some sort of settlement.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : While framing his question, the hon. Member has unfortunately used some phrases like treachery. If he sers the whole history of the dispute he would find that there is no treachery or sleeping over, as far as this particular matter is concerned. When this matter came up before us we decided first of all that they should be given the Central scale of pay, or the pay scale of the adjoining State, which ever is lower. Later on, we decided that we should have a uniform policy: that is to say, as we pay our employees all over the country, we should pay the employees of the Union Territories also all over the country. There is no question of sleeping over the matter. It is true that there has not been agreement on this matter; that was an unfortunate factor. But to say that there was treachery on the part of the government is absolutely wrong and I hope the hon. Member will correct his statement.

Then he referred to some alleged contradiction in the statement. According to him, if the Central scales of pay were going to benefit the NGOs of Himachal Pradesh, where was the question of adversely affecting anybody. As I had stated in reply to a question by Shri Joshi, there are instances where the scale of pay of the Himachal Pradesh employees plus their compensatory allowance sometimes totals more than the Central scale of pay and Central allowances. We have given an assurance that in such cases—it may be 100, 200 or 500; I do not know the exact number; but the number is immaterial—where any employee stands to lose any money in his emoluments as a result of our new policy. we have given a blanket assurance that they shall not lose anything. Their salary shall be protected. Their salary will only go up; it will not go down. According to the decision we have taken, the Himachal Pradesh NGOs will be benefited to the extent of Rs. 21 lakhs annually. Therefore, the question of any contradiction in this statement does not arise.

Then he referred to the unconditional release of the employees and dealing with them with a large heart. I can assure the hon. Member that we are dealing with them with sympathy and understanding. We are not taking it as a matter of prestige. After all, these people have been working for us and they are doing their best to discharge their duties. we also know the hardship they are undergoing. We have every sympathy for them and we are trying to settle the dispute according to our resources and according to the conditions. So, the question of not dealing with them sympathetically and properly does not arise.

Regarding the release of these employees, as I have already said, as soon as the conditions are normal all these matters will be looked into.

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मामले के लिये समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवादी हूं—उन्होंने इस के बारे में स्थिति बतलाई। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें आप के सामने रखना चाहता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अध्यक्ष महोदय, 1 नवम्बर,

[श्री प्रेम चन्द वर्मा]

1966 को जब पंजाब के हिस्से हिमाचल प्रदेश में मिले, तब से उन लोगों को तनख्वाहें पंजाब के मुताबिक मिलती थीं। और उसके बाद 1-2-66 को पंजाब ने अपने ग्रेड रिवाईज किए। और जब 1-11-66 को वे कर्मचारी पंजाब से हिमाचल प्रदेश की नौकरी में आये तो उस अग्रीमेन्ट में यह दर्ज था कि जो तनख्वाहें पंजाब के कर्मचारियों को मिलेंगी वही तनख्वा हें हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगी। यह बात उस एग्रीमेन्ट में दर्ज है, उन रूल्स में दर्ज है जो सरकार की तरफ से दिये गए हैं। उसमें साफ है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को वही तनख्वाहें मिलेंगी जोकि पंजाब के कर्मचारियों को मिलती हैं। इसलिए मंत्री महोदय की यह बात गलत हो जाती है कि उनको वही तनख्वाहें मिल रही हैं जो कि पंजाब के लोगों को मिलती थीं या उससे कम नहीं होंगी। बल्कि एक आदमी को जो, आज हमारे हिमाचल प्रदेश में काम करता है और जो पहले पंजाब में काम करता था, अगर 150 रु० मिलते हैं तो पंजाब से तनख्वाह लेने वाला जो आदमी है उसको 225 रुपए मिलते हैं। ऐसी हालत में आप किस तरह से कह सकते हैं कि हम वही तनख्वाह दे रहे हैं जोकि पंजाब वालों को देते हैं। तो एक बात मैं यह कहता हूं कि यह बात मुनासिब नहीं है और इन्साफ पर मबनी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि 1-2-66 से वे चिल्ला रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। अगर दिल्ली होती, पंजाब होता, हरियाणा होता या उत्तर प्रदेश होता तो न जाने इस पार्लेमेन्ट में क्या कुछ हो जाता, कितनी ही बार यह मामला यहां पर आता और कितनी ही बार, हमारे जो मंत्री हैं वे उसको सुलझाने कि कोशिश करते। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या एक बार भी, जो ज्वाइंट ऐक्शन कमेटी उनकी है; जो कि मजदूरों की नुमाइन्दा जमात है उसको बुलाया है और एक बार भी उनसे बातचीत की है? 11 मार्च को भी जो फैसला किया है वह भी ज्वाइंट ऐक्शन कमेटी जोकि मजदूरों की नुमाइन्दा है, उससे पूछे बगैर फैसला किया है और जब आपने उससे पूछे बगैर फैसला किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद भी आप चाहते हैं कि जो इस तरह से फैसला करें उसको सारे मजदूर मान लें? यह नहीं हो सकता है। 13 तारीख को जो हड़ताल हुई उससे सारा का सारा हिमाचल प्रदेश बन्द हुआ और उसमें यह भी साबित हो गया कि सारा प्रदेश उनके साथ में है। उसके लिए फिर बातचीत हुई और जोशी जी ने उसपर जो प्रकाश डाला उसको मैं फिर यहां पर नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। उसके बाद वह हड़ताल खत्म करने की कोशिश की गई, उसको सैबोटाज करने की कोशिश की गई। लेकिन मैंने यहां पर मंत्री महोदय से कहा कि आप गलत लोगों के रिप्रेजेन्टेशन्स को न मानिये। जो सही लोग हैं उनकी नुमाइन्दगी को ही देखें। और अगर यह नहीं होगा तो वह फैसला उस प्रदेश में होगा। वह फैसला आज है। आज 9 रोज से सारे हिमाचल प्रदेश में हड़ताल है। लगातार 9 रोज से वहां पर हड़ताल है। एक लाख से ज्यादा कर्मचारी वहां हड़ताल पर हैं। सरकार का सारा का सारा काम रुका हुआ है। कोई भी काम नहीं हो रहा है। कोई भी मंत्री बाहर निकल नहीं सकता है। कोई आदमी जा नहीं सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसके बाद भी सरकार कह रही है कि सहानुभूति से विचार करेंगे तो मैं उस हमदर्दी और सहानुभूति की बुनियाद पर ही पूछना चाहता हूं कि जो फैसला आप करेंगे उसको करने से पहले क्या आप ज्वाइंट ऐक्शन कमेटी के लीडर्स से विचार विमर्श नहीं करेंगे? और अगर आप अपना ही फैसला करेंगे तो क्या उससे वह एजिटेशन बन्द हो जायेगा? मैं समझता हूं वह बन्द नहीं होगा। अगर वह फैसला उनकी मंजूरी के बगैर होगा तो वह भी वैसा ही फैसला होगा जैसा कि 11 मार्च, को किया गया है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो कि एक गरीब सूबा है और जो वहां के गरीब कर्मचारी हैं पहाड़ पर रहने वाले, उनकी जो जरूरतें हैं वह ज्यादा हैं, उनके खर्चे ज्यादा हैं। वे गरीब कर्मचारी हिन्दुस्तान के उस सूबे में रहते हैं जहां की सारी सड़कें तिब्बत के साथ लगती हैं।

..(**व्यवधान**).... अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जोकि सदन के सामने नहीं आये हैं...

अध्यक्ष महोदय: आप तो लम्बी तकरीर में पड़ गये। उनके जवाब से जो सवाल उठे उसको आप पूछें?

श्री प्रेम चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी सी बात नहीं है। अगर यह बात दिल्ली में होती तो न जाने क्या होता। वहां पर हालत यह है कि जगह जगह पर इस तरह की आग भड़क रही है और अगर कोई बात हो गई तो जो हिमाचल प्रदेश है वह एक ज्वालामुखी बन जायेगा। इनको यह बात देखनी चाहिए कि 19 तारीख को वहां पर जो बन्द हुआ उसने यह बता दिया है कि वहां की जनता सरकारी कर्मचारियों के साथ में है. मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनको मालूम है कि बिलासपुर में जो लाठी चार्ज हुआ वह ऐसे लोगों पर हुआ जो कि पीसफुल मुजाहरा कर रहे थे? मैं जानना चाहता हूं कि जो लाठी चार्ज हुआ उसके बारे में क्या सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है, क्या उसके बारे में कोई जांच की गई है और अगर नहीं, तो क्या सरकार उसकी जांच करने के लिए तैयार है? यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि बिलासपुर में जो लाठी चार्ज हुआ वह लोगों पर एक तरह की जबर्दस्ती हुई है, एक अन्याय हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बिलासपुर में जो लाठी चार्ज हुआ और दो, तीन, चार जगहों पर जो अन्याय हुआ क्या उसकी आप इंक्वायरी करवायेंगे? इसके साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि आज तक वहां पर कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और उसमें से कितने बेल-आउट हुए हैं और कितने जेल के अन्दर हैं? और कितने लोगों ने वहां पर तशद्दद की कार्यवाही की है? ये सारे फैक्ट्स मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो इस प्रकार के जुर्म में गिरफ्तार किये गए हैं?

दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के नान-गजटेड कर्मचारियों की जो यह मांग है कि 1-2-66 से उनको पंजाब के स्केल्स दिये जायें, इस मांग को पूरा करने पर कुल कितनी ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी? मैं फैक्ट्स जानना चाहता हूं कि अगर पंजाब के ग्रैड उनको दे; दिये जायें तो सालाना कितनी रकम ज्यादा देनी पड़ेगी और क्या यह सारी रकम भारत सरकार को देनी होगी या हिमाचल प्रदेश का भी उसमें कोई हिस्सा होगा? और अगर सारी रकम भारत सरकार को ही देनी है तो इस अहम सवाल और मसले को देखते हुए उसको हल करने के लिये क्या भारत सरकार उस फालतू खर्चे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है या नहीं? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

तीसरी बात यह है कि सोमवार के लिए जो माननीय मन्त्री जी ने मेहरबानी की है और कहा है कि उनके नुमाइन्दे आकर के मिलें तो मैं जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों के नुमाइन्दों के साथ जो बातचीत होगी क्या उसमें यह मामला भी शामिल कर दिया जाएगा कि 1-2-66 से उनको पंजाब के स्केल दियें जाएं और उनको सी० ए० भी उसी के मुताबिक मिले? चौथी बात यह है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें जिनपर तशद्दद का कोई मुकदमा नहीं बना है क्या उनको फौरन छोड़ दिया जायेगा? ..(**व्यवधान**)... और जो नयी कैटेगरी का सवाल है क्या उन पर भी साथ साथ फैसला कर दिया जायेगा?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने कुछ समझौतें और नियमों का जिक्र किया। मेरे पास उसकी सूचना नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता कि जो बातें उन्होंने कही हैं वह ठीक हैं या गलत हैं। जहांतक कि ज्वाइंट ऐक्शन कमेटी का सवाल है, मैंने पहले ही बताया कि हमें उनसे बातचीत करने में जरा भी कोई आपत्ति नहीं है। माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि हमारी उनसे बातचीत हो गई है और सोमवार को वे यहां पर आयेंगे। पूर्ण सहानुभूति के साथ विचार करके और बातचीत करके हम इस चीज को तय करने के लिए तैयार हैं।

एक बात उन्होंने यह पूछी थी कि इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए और कितने जमानत पर रिहा कर दिये गए। वर्तमान सूचना के

अनुसार 805 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और 703 व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। दो व्यक्तियों को सजा मिली है लेकिन उन्होंने भी अपील कर रखी है।

जहां तक इस बात का सवाल है कि अगर पंजाब के स्केल दिये जाएँ तो कितना पैसा और लगेगा, मेरे पास उसके आंकड़े नहीं हैं लेकिन मेरा अन्दाज है कि . . . पौने दो करोड़ के लगभग सालाना खर्च बढ़ जायेगा। जैसा मैंने कहा कि यह सवाल केवल हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं है बल्कि जो दूसरी यूनियन टेरिट्रीज़ हैं उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें हिमाचल प्रदेश का कितना पैसा खर्च होगा और केन्द्रीय सरकार का कितना पैसा खर्च होगा। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि जहां तक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र हैं और केन्द्रीय सरकार है, इन दोनों को वित्तीय मामलों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इसी संसद के द्वारा हमें उस पैसे की मंजूरी देनी पड़ती है और सैन्ट्रल बजट से ही वह पैसा दिया जाता है।

जैसा मैंने कहा हम लोग शीघ्रता से इस बारे में निर्णय ले रहे हैं। और मुझे आशा है कि जल्दी ही इस मामले में निर्णय हो जायगा।

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar): All those who have been arrested should be released. Some of them are in hospitals. They should also be released.

12.41 hrs.

MAY DAY GREETINGS TO WORKERS OF THIS WORLD

MR. SPEAKER : Hon Members, it gives me great pleasure to associate myself with the sentiments earlier expressed in this House regarding May day. This day, as you all know, is a day of great significance for the working class all the world over. We in India have always stood for an egalitarian social order. In its very Preamble, our Constitution proclaims the ideal of social, economic and political justice and what is more, the Directive Principles of State Policy specifically ordain the State to promote the welfare of the people by securing and protecting effectively, as it may, a social order in which justice social, economic and political shall inspire all the institutions of national life.

I am sure all of you will join me in sending our greetings to workers all the world over and in paying our deep homage to the many martyrs, known or unknown, who have laid down their lives for the cause of human freedom and in the movement for the elimination of all forms of exploitation.

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय इसके लिये आपको बधाई है जो भी हुआ हैं अच्छा काम हुआ है।

SHRI RANGA (Srikakulam) : Mr. Speaker, we have accepted the proposition that you have placed before us and we are glad to agree with you. But, at the same time, before this I would like you to be considerate and good enough to consult us in advance before you place any such proposition in future for general acceptance in this House. Otherwise, it would become a very bad precedent.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER: I quite agree with Prof. Ranga. As I observed this morning, on such occasions it should have been much better if the leaders had met me earlier and we would agree upon the language. This morning when I took the sense of the House, I clearly said I might mention it after the Question Hour only if you authorise me to do so. (*Interruptions*)

SHRI RANGA : But the procedure adopted is not correct. I hope this would be borne in mind for the future.

MR. SPEAKER : I will gladly accept the proposal or suggestion made by Prof. Ranga. In future we should all meet earlier and agree on such matters. This question arose abruptly this morning.